POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 25.11.2025

1. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25.11.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से वादी के पुत्र ओमकार उम्र लगभग 16 वर्ष की हत्या करने वाले 02 अभियुक्त 1. अल्ताफ पुत्र अलाउद्दीन 2. फैजान पुत्र इस्तखार को NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास बनी ग्रीन बेल्ट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP37N9577 बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त/ पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त अल्ताफ और फैजान वेल्डिंग व स्टील का गेट बनाने का काम करते हैं और अल्ताफ के कमरे में रहते हैं। फैजान लगभग 5–6 दिन पहले ही अल्ताफ के साथ हेल्पर के रूप में आया था। अल्ताफ अपनी प्रेमिका की नाबालिग बेटी से प्रेम करने वाले मृतक ओमकार की हरकतों से नाराज रहता था और उसे अपनी प्रेमिका की बेटी से बात करने से मना करता था, लेकिन ओमकार बार-बार ऐसा करता रहा। दिनांक 23.11.2025 को अल्ताफ की प्रेमिका अपनी बहन की शादी में गाँव चली गई थी। उसी दिन शाम को ओमकार प्रेमिका की बेटी के कमरे के नीचे गली में घूम रहा था, जिसे देखकर अल्ताफ को गुस्सा आ गया। अल्ताफ ने ओमकार को प्यार से ऊपर बुलाया और मीठी बातें करते हुए समझाया। ओमकार ने सिगरेट के लिए कहा तो अल्ताफ ने नीचे दुकान से उधार लाने को कहा। ओमकार सिगरेट लेकर आया और दोनों अभियुक्तों के साथ अपने कमरे में बातचीत करता रहा। अल्ताफ ने उसे प्रेमिका की बेटी से बात न करने और पीछा छोड़ने के लिए कहा लेकिन ओमकार ने मना करते हुए कहा कि वो उसको प्यार करता है बात करना नहीं छोड़ सकता। इस इंकार से गुस्साए अल्ताफ ने फैजान की सहायता से अपने हाथों से गला घोंटकर ओमकार की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों अभियुक्तों ने कमरे का ताला बंद किया और मोटरसाइकिल से चले गए। वाहन NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास झाड़ियों में छिपा दिया और मृतक का मोबाइल भी वहीं फेंक दिया। आज दिनांक 25/11/2025 को जब अभियुक्त और फैजान अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए एनएसईजेड मेट्रो स्टेशन के पास आए तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए जाने के उपरांत अभियुक्तगण अल्ताफ और फैजान ने ओमकार उपरोक्त की हत्या की घटना करने की स्वीकारोक्ति की। अभियुक्तगण अल्ताफ और फैजान को आवश्यक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- अल्ताफ, पुत्र अलाउद्दीन, निवासी ग्राम रसूलपुर बहलोलपुर, थाना बाबूगढ़, हापुड़, उम्र लगभग 28 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 12वीं।

2- फैजान, पुत्र इस्तखार, निवासी ग्राम रसूलपुर बहलोलपुर, थाना बाबूगढ़, जनपद हापुड़, उम्र लगभग 20 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 9वीं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 577/2025 धारा 103(1) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

2. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 03 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, कब्जे / निशानदेही से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 03 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25.11.2025** को **थाना बीटा-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. विकास पुत्र राजवीर 2. दीपक पुत्र प्रेमपाल 3.अमित पुत्र फौजदार को नट मढैया गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/ निशानदेही से फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई चोरी की 03 मोटरसाइकिल व अभियुक्त अमित के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. विकास पुत्र राजवीर निवासी ग्राम भोगपुर, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
2. दीपक पुत्र प्रेमपाल ग्राम भोगपुर, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
3. अमित पुत्र फौजदार निवासी ग्राम अमापुर, अलीगढ वर्तमान पता ग्राम ऐच्छर, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 539/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP13CA6673, सम्बन्धित मु0अ0सं0 92/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना कपूरपुर, हापुड़।
2. मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL5SCC9522
3. मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP16DF8981

3. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 11 मोबाइल फोन, 01 चेन, 01 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25.11.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाला अभियुक्त शुभम मंडल पुत्र विधान मंडल को सिटी पार्क सेक्टर-93 नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 11 मोबाइल फोन, 01 चेन (पीली धातु), 01 मोटर साइकिल स्प्लेंडर व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त शुभम मंडल एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में घूमकर साप्ताहिक बाजारों में व्यक्तियों के मोबाइल फोन, गले की चेन और बाजार में खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी कर लेता था। चोरी का सामान वह रास्ते में मिलने वाले लोगों को सस्ते दाम पर बेचकर पैसे कमाता था। अभियुक्त के पास से एक अवैध चाकू भी मिला है, जिसे वह पकड़े जाने पर लोगों को डराने और भागने के लिए साथ रखता था। उसके खिलाफ पहले भी चोरी और गांजा तस्करी जैसे मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--
शुभम मंडल पुत्र विधान मंडल निवासी ग्राम बिथिया डोरी, थाना शाहपुर, नदिया (पश्चिम बंगाल) वर्तमान पता ग्राम गेझा, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर, उम्र 32 वर्ष, शिक्षा कक्षा 5वीं।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--
1. मु0अ0सं0 421/2015 धारा 381/411 भादवि, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 564/2015 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 218/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 535/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 576/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 580/2025 धारा 317(5) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--
1- 11 मोबाइल फोन,
2- 01 चेन (पीली धातु),
3- 01 मोटर साइकिल स्प्लेंडर,
4- 01 अवैध चाकू